



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14102025-266907
CG-DL-E-14102025-266907

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4513]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 13, 2025/ आश्विन 21, 1947

No. 4513]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 13, 2025/ ASVINA 21, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2025

का.आ. 4642(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3214 (अ), दिनांक 18.10.2016 द्वारा गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 8ई के भावनगर-तलाजा-महुवा-कागवादर-ऊना-कोडिनार-वेरावल खंड के किमी 7.090 से किमी 263.000 तक के खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा जाए) को सुपुर्द किया है;

अतः, अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 (जिसे इसके पश्चात् "नियम" कहा जाए), के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2203(अ) दिनांक 04 जून, 2024 के अधिक्रमण में, भारत सरकार एतद्वारा गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8ई के तलाजा-महुवा-विक्टर खंड के डिजाइन किमी 54.990 से किमी 122.420 (विद्यमान चेनेज किमी 53.585 से किमी 121.840) तक चार लेन या अधिक के उपयोग के लिए नीचे दी गई

तालिका 1 के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर 58.081 किमी (सारणी-2) की निवल सड़क खंड लंबाई और 6.750 किमी (0.675 किलोमीटर की लंबाई वाली, सारणी-4) की समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक लंबाई वाले) के लिए सारणी 1 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट दरों पर और दस करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाले 8.674 किमी [सारणी-3] (60 मीटर से अधिक लंबाई वाली संरचनाओं को छोड़कर) लंबाई वाले बाईपास के लिए आधार दर के 150% पर शुल्क उद्गृहीत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात:-

सारणी-1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार शुल्क दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. इसके अंतर्गत उद्गृहीत और संग्रहीत शुल्क, ऐसे शुल्क प्लाज़ाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निवल सड़क खंड लंबाई हेतु निम्नलिखित शुल्क प्लाज़ाओं में देय और संदेय होगी, अर्थात;

सारणी 2		
शुल्क प्लाज़ा का स्थान (चेनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
गुजरात राज्य के भावनगर जिले के रोहिसा गांव में एनएच 51 (पुराना एनएच-8ई) के चेनेज़ डिजाइन किमी 79.370 पर	58.081 [बाईपास की लंबाई (जिनकी लागत 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक) और (>60 मीटर) संरचनाओं की लंबाई को छोड़कर]	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाज़ा पर 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाले बाईपास के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क भी देय होगा, जो ऐसे शुल्क प्लाज़ा के लिए विनिर्दिष्ट निवल बाईपास लंबाई के लिए होगा:

सारणी-3						
शुल्क प्लाज़ा का स्थान (चेनेज)	बाईपास का नाम	पर आरंभ होते हुए	पर मिलते हुए (डिजाइन किमी)	बाईपास की लंबाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है [60 मीटर से अधिक संरचनाओं को छोड़कर]		दर जिस पर शुल्क संदेय है
				लंबाई (कि.मी. में)	लागत (करोड़ रुपए में)	
गुजरात राज्य के भावनगर जिले के रोहिसा गांव में एनएच 51 (पुराना एनएच-8ई) के चेनेज़ डिजाइन किमी 79.370 पर	बोरदा बाईपास	68.275	69.670	1.395	10 करोड़ से अधिक	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
	लोगड़ी बाईपास	75.000	77.055	2.055		
	भदरोड बाईपास	87.040	90.090	2.984		
	दातारडी बाईपास	113.555	115.905	2.240		
कुल				8.674		

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाज़ा (प्लाज़ाओं) पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा:

सारणी-4			
शुल्क प्लाज़ा का स्थान (चेनेज)	सड़क की लंबाई के समान परिवर्तित बुनियादी ढांचा की लंबाई (कि.मी. में)	समकक्ष सड़क लंबाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
गुजरात राज्य के भावनगर जिले के रोहिसा गांव में एनएच 51 (पुराना एनएच-8ई) के चेनेज़ डिजाइन किमी 79.370 पर	0.675 [^]	6.750	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

[^]चार लेन संरचनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	चेनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (कि.मी. में)
	कि.मी. से	कि.मी. तक		
1	72.260	72.340	बड़ा पुल	0.080
2	88.752	88.818	बड़ा पुल	0.066
3	90.298	90.392	बड़ा पुल	0.094
4	94.769	94.890	बड़ा पुल	0.121

5	101.815	101.893	बड़ा पुल	0.078
6	114.037	114.147	बड़ा पुल	0.110
7	117.174	117.237	बड़ा पुल	0.063
8	120.734	120.757	बड़ा पुल	0.063
कुल लंबाई (कि.मी.)				0.675

4. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और शुल्क प्लाज़ा से बीस कि.मी. की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2025-26 के लिए 350.000/-रुपए (तीन सौ पचास रूपए मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अध्वधीन है।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

सारणी-5		
संदेय धनराशि	अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक मास

6. शुल्क प्लाज़ा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश के लिए, कथित नियमों के नियम 10 के उप नियम 1ए के अनुसार अनुप्रयोज्य शुल्क के समतुल्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

8. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

10. उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 1782.90 करोड़ रुपए है। चूंकि भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, इत्यादि कामों को अभी पूरा किया जाना है, इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के

अध्यधीन है। प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का प्राधिकरण द्वारा रिकॉर्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. जीयूजे डीआईवी-20015/5/2025-पीआईयू भावनगर/ई-256705]

चेतना नन्द सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2025

S.O. 4642(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 3214 (E) dated 18.10.2016 issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from km 7.090 to km 263.000 of Bhavnagar-Talaja-Mahuva-Kagavadar-Una-Kodinar-Veraval section of National Highway 8E in the state of Gujarat to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules"), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 2203(E) dated 04th June, 2024, the Central Government hereby levies the fee at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 58.081 km [Table-2] and for equivalent structure length (having length more than 60 m) of 6.750 km (having length of 0.675 km [Table-4]) and at 150% of the base rate of bypasses having length of 8.674 km [Table-3] (excluding length of structures more than 60 m length) costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for the use of four lane or more of Talaja-Mahuva-Victor section from design Km 54.990 to Km 122.420 (existing chainage Km 53.585 to Km 121.840. of National Highway number 8E in the State of Gujarat and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table 1	
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely: -

Table 2		
Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Ch. Design Km 79.370 of NH 51 (old NH-8E) at Rohisa village in Bhavnagar district of State of Gujarat	58.081 [Excluding length of Bypass (costing ≥ 10 Cr.) and length of structures (>60m)]	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza(s): -

Table 3						
Location of Fee Plaza (Chainage)	Name of the Bypass	Taking Off (Design Km)	Merging at (Design Km)	Length and cost of bypass for which additional fee is payable [Excluding length of Structures(>60m)]		Rate at which fee is payable
				Length (in Km)	Cost (in Rs. Crore)	
At Ch. Design Km 79.370 of NH 8 Eat Rohisa village in Bhavnagar district of State of Gujarat	Borda Bypass	68.275	69.670	1.395	More than 10 Crore	150% for four or more lanes of the base rates mentioned in Table-1 above.
	Longadi Bypass	75.000	77.055	2.055		
	Bhadrod Bypass	87.040	90.090	2.984		
	Datardi Bypass	113.555	115.905	2.240		
Total				8.674		

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10: -

Table 4			
Location of Fee Plaza (Chainage)	Length of structures (in Km.) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At Ch. Design Km 79.370 of NH 51 (old NH-8E) at Rohisa village in Bhavnagar district of State of Gujarat	0.675 [^]	6.750	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table – 1 above.

[^]The details of four lane structures are as under:

Sr. No.	Chainage		Type of structure	Length (in Km)
	From Km	To Km		
1	72.260	72.340	Major Bridge	0.080
2	88.752	88.818	Major Bridge	0.066
3	90.298	90.392	Major Bridge	0.094
4	94.769	94.890	Major Bridge	0.121
5	101.815	101.893	Major Bridge	0.078
6	114.037	114.147	Major Bridge	0.110
7	117.174	117.237	Major Bridge	0.063
8	120.734	120.757	Major Bridge	0.063
Total Length				0.675

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs 350.00 (Rupees Three Hundred and Fifty only) for the year 2025-26 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table 5		
Amount Payable	Maximum number of one-way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty-four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys.	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 1782.90 crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. GUJDIV-20015/5/2025-PIU Bhavnagar/E-256705]

CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.